

सं.ई. 11016/01/2017-हिन्दी /441-470

भारत सरकार


जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2018

विषय: ज. सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति के संबंध में।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है और इस समिति में अनुभाग अधिकारी से उपसचिव स्तर तक के अधिकारी सदस्य होते हैं। दिनांक 27.12.2017 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कई अनुभागों के प्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित नहीं रहे हैं। इससे समिति की बैठक के आयोजन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर विधिवत चर्चा भी नहीं हो सकी।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 26.03.2018 को आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 72वीं बैठक में अवश्य उपस्थित रहें ।



(एम.सी. भारद्वाज)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23714374

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।